



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : 63—उ0प्र0(ब) / पाकालि 0 / 2018-07—विविध(ब) / 2018

दिनांक : 29 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री अवधेश कुमार (उ0प्र0ब0) (2014201) (बुलन्दशहर), उप खण्ड अधिकारी—।।, नन्दग्राम अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-10 परिवार्षिक विद्युत वितरण निगम लिलो, गाजियाबाद, को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर नियुक्त कर, प्रबन्ध निदेशक, परिवार्षिक विद्युत वितरण निगम लिलो, मेरठ को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—29/97—14काविनी/87 दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री अवधेश कुमार (2014201) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री मुनीश कुमार अरविन्द (2014202) की अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के आदेश दिनांक 06.10.2018 से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री अवधेश कुमार (2014201), का वेतन उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री मुनीश कुमार अरविन्द (2014202), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य प्रोन्नति के दिनांक 06.10.2018 से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें प्रोन्नति के दिनांक 06.10.2018 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

3— यह भी आदेश किये जाते हैं कि का0ज्ञा0संख्या-440—काविनी/पाकालि—29/2000 दिनांक 1-6-2000 में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त प्रोन्नति की तिथि (06.10.2018) से की जायेगी।

4— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

5— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिलो की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञा0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

8— उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900—प्रशि0—10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

9— उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

10— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमसंख्या:.....2.....



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



-2-

संख्या: ६३(१)उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१८ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मा० ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल, आगरा/मध्याञ्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- 5— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आर्जी से
(सद्गुरुनानद)
उप सचिव
२०१९.